RAS MAINS TEST SERIES 2018

PAPER –III GENERAL KNOWLEDGE AND GENERAL STUDIES

Unit-II - **POLITICAL**

नोटः सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 15-15 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है।

1. उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यता लिखिए ?

- भारत का नागरिक हो।
- उच्च न्यायालय में पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश हो अथवा 10 वर्षों से अधिवक्ता हो अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि का जानकार हो।

2. 99वॉ संविधान संशोधन किससे संबंधित था ?

उत्तरः–99वॉ संविधान संशोधन न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना से संबंधित हैं, जिसमें अनुच्छेद 124-A (स्थापना), 124-B (कार्य) एवं 124-C (विधि का दायित्व संसद) जोड़े गये।

3. इन हाउस प्रोसीजर क्या हैं ?

उत्तरः–यह SC/HC के न्यायाधीशों पर लगे आरोपों की आंतरिक जाँच प्रक्रिया

मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्र → मुख्य न्यायाधीश द्वारा पत्र का परीक्षण → जाँच समिति का गठन व जाँच करना → आरोप सही होने पर न्यायाधीश को छुट्टी पर भेजना → न्यायाधीश को हटाने हेतु राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को पत्र

4. एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या हैं ?

उत्तरः–इस प्रणाली में मतदाता प्राथमिकता के आधार पर अपने मत को अभिव्यक्त करता है व पर्याप्त बहुमत न होने की स्थिति में उसका मत अगली प्राथमिकता को स्थानान्तरित हो जाता हैं।

5. न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की कोई दो कमियाँ बताइयें ?

i. जाँच समिति के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं हैं।

ii. संबंधित न्यायाधीश द्वारा त्याग पत्र देने पर प्रक्रिया व्यर्थ हो जाती हैं।

6. 'मेमोरेण्डम ऑफ प्रोसीजर' को स्पष्ट कीजिए ?

उत्तरः–न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में मार्च 2018 से इस व्यवस्था को लागू किया गया है-

सामान्य न्यायाधीशों की नियुक्ति –

मुख्य न्यायाधीश द्वारा रिक्त पदों की सूचना विधि मंत्रालय को → कॉलेजियम (मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष) द्वारा विधि मंत्रालय को → विधि मंत्रालय द्वारा जानकारी प्रधानमंत्री को → प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति –

विधि मंत्रालय द्वारा तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश से अनुशंसा प्राप्त करना → तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा उपयुक्त वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की अनुशंसा → विधि मंत्रालय द्वारा प्रधानंमत्री को जानकारी → राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर नियुक्ति

7. "न्याय में विलम्ब न्याय न मिलने के समान हैं।" टिप्पणी कीजिए ।

उत्तरः–न्यायिक प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य अनुचित क्रियाकलापों की रोकथाम है। द्रुत न्याय का अभाव न केवल प्रार्थी को व्यक्तिगत हानि पहुचाता है अपितु जन सामान्य में न्याय के प्रति विश्वास भी दुर्बल कर देता हैं, जिसके परिणामस्वरूप जनता अनुशासनहीनता व आपराधिक प्रवृतियों की ओर आकृष्ट होने लगती है। इस कारण प्रार्थी व समष्टि दोनों रूप मे न्याय का औचित्य सिद्ध नहीं हो पाता। इस प्रकार न्याय में विलम्ब निश्चित ही न्याय की सार्थकता को समाप्त कर देता हैं।

8. राष्ट्रपति की भूमिका रबर स्टैम्प की तरह हैं।" टिप्पणी कीजिए ?

उत्तरः–भारत के राष्ट्रपति की भूमिका प्रतीकात्मक रूप मे मानी जाती है जिसका विश्लेषण संविधान के अनुच्छेद 53,74,75 व 78 के माध्यम से किया जाता हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति सैद्धान्तिक रूप से राष्ट्रपति को सौपी गई है व भारत संघ के सभी कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते है। अनुच्छेद 77 के तहत इस कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रपति आवंटन के नियम बनाता हैं, राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग मंत्री परिषद की सहायता व सलाह से करता है, जो 42वें संविधान संशोधन के पश्चात् बाध्यकारी थी। 44वें संवधान संशोधन के पश्चात् इस सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं।

उक्त संदर्भ में राष्ट्रपति की भूमिका मात्र औपचारिक प्रतीत होता है किन्तु अनुच्छेद 60 के तहत संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण एवं परिरक्षण की शपथ एवं इस पद का दलीय राजनीति से मुक्त होने के कारण राष्ट्रपति परिस्थितिजन्य विवेक का उपयोग करता है। इसमें विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेजना, बहुमत न होने की स्थिति में प्रधानमंत्री के चयन का विषय, लोकसभा में विश्वास मत न होने की स्थिति कें मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना इत्यादि सम्मिलित हैं। हिन्दु कोड बिल, भारतीय डाक घर अधिनियम इत्यादि दृष्टान्त राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण पद के रूप में स्थापित करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति नाममात्र का अध्यक्ष होने के उपरान्त भी लोकतंत्र की भावना के अनुकूल शासन संचालन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता हैं।